अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं)। की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड

(क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात्-

(क) ''छ: अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष(चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।''

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''

(2) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है।

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है।

(3) परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्त को नया नाम निर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंदी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्ति करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों

की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्णता पालन के लिये आवश्यक है।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगा

7. आयोग का कोई या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

Chapter II - The State Commission for Anusuchit Janjati

Constitution of State Commission for Anusuchit Janjati

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Chhattisgarh Rajay anusuchit Janjati Ayog to excercise the power conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following members :-

(a) "Six non official members who have special knowledge in the matters relating to

Scheduled Tribes of whom one shall be the chairperson and one shall be the vice chairperson to be appointed by the State Government :

Provided that at least four members including the Chairperson and vice Chairperson, Shall be from amongst the Scheduled Tribes."

(b) Commissoner, Tribal Development, Chhattisgarh

Term of office and conditions of Service of Chairperson and Members

4. (1) "The Chirperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the state Government."

(2) A member may, be writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or as the case may be, of member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person.

(a) becomes an undischarged insolvent.

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the state Government, involves moral turpitude,

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competen court.

(d) refuses to act or become incapable of acting.

(e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meeting of the Commission, or.

(f) has in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson of Member as to render his continuance in office detrimental to the interests of Scheduled Tribes or the public interest.

Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been' given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomiation and the person so nominated shall hold office for the remainder term of his predecessor.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

4. (1) The State Government shall a Secretary of the Commission and provided the Commission with such other officers and employees and may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to the paid out a grant.

6. The salaries and allowances payable to the chairperson and members and the administrative expenses including salaries, allowance and pensions payable to the Secreatary, officers and other emplyees referred to in Section 5 shall be paid out to the grants referred to in sub-section (1) of Section 11.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act pre proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.